प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 23.08.2023

कुटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र थाना एम्स के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र सिंह मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2023 धारा 419,420,467,468,471,406,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र सुदर्शन यादव निवासी रक्षवापार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र सुदर्शन यादव निवासी रक्षवापार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर द्वारा अपने 03 साथियों के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा को ग्राम रुद्रापुर स्थित कुसुम्ही बाजार में स्थित आराजी नं0 122 में से एक भूखण्ड धोखाधड़ी कर उक्त जमीन वादिनी मुकदमा को बैनामा कर दिया। कुटरचित बैनामा की जानकारी होने पर जब वादिनी मुकदमा द्वारा अपने रुपये वापस मांगा गया तो अभियुक्तगण द्वारा रुपया देने से मना कर दिया गया और गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मनोज कुमार पुत्र सुदर्शन यादव निवासी रक्षवापार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 27/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504, 506 भादवि0 थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 75/2023 धारा 120बी, 406, 420, 506 भादवि0 थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 02/2022 धारा 323, 336, 452, 504 भादवि0 व 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 मदन मोहन मिश्र थानाध्यक्ष एम्स जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का0 नन्दन कुमार शर्मा थाना एम्स जनपद गोरखपुर
4. का0 अभिषेक शर्मा थाना एम्स जनपद गोरखपुर